न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील सख्या–12/2017

सीताराम पुत्र गीगाराम जाति माली निवासी बाण्डिया नला गुंढागोडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू –राज0

––अपीलान्ट–

–बनाम–

भूमि धारक जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू –राज0

––रेस्पोडेन्ट–

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.7.2017

द्वारा उप खण्ड अधिकार उदयपुरवाटी

उपस्थिति–

1– श्री बनवारीलाल सैनी एडवोकेट–अपीलान्ट

2–श्री बिरजूसिंह शेखावत राजकीय वकील

निर्णय दिनांक 28.2.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ पेश कर निवेदन किया कि आराजी पुराना खसरा नम्बर –1796 ग्राम गुढागोडजी वादी के पिता गीगाराम ने तत्कालीन भूमि धारकों सें 10 बीघा भूमि काश्त करने के लिये लेकर काबिज काश्तकार हुआ। कदीमी कब्जा काश्त के आधार पर नामान्तरकरण सं–745 दिनांक 6–8–76 को तस्दीक किया जाकर पुराना ख0नं0 1796 मी0 1796/2 रकबा 10 बीघा का रेकार्डेड खातेदार हुआ। किन्तु सहवन से नामान्तरकरण सं0–745 का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ और राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नहीं हों सका। जबकि जमाबन्दी सं0 2031–2034 में खसरा नं0– 1796/2 गीगा के 10 बीघा का इन्द्राज है तथा खसरा गिरदावरी सं0– 2032 के कालम सं0–15 व 16 में देवा गीगा हरला भाता मनोहर पिता चन्द्रा माली तथा खसरा गिरदावरी सं0–2035 में 10 बीघा पर गीगा पुत्र चन्द्रा का इन्द्राज है। सम्वत 2035 के पश्चात

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व

तहसील उदयपुरवाटी में बन्दोबस्त कार्यवाही शुरू हो गई। सैटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान ना तो मौका के आधार पर गिरदावरी बनाई और न ही जमाबन्दी बनाई गई। सैटलमेन्ट के दौरान बिना खातेदार को सूचना दिये वादी के पिता के खातेदारी अधि।कार समाप्त कर दिये। जबकि भूं–प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्ष्म न्यायालय के आदेश के किसी की खातेदारी निरस्त करने का अधिकार नहीं है।अत वादी का दावा स्वीकार कर आराजी पुराना खसरा नं0–1796/2 तथा ख0नं0– 1796 मी0 रकबा 10 बीधा भूमि वादी के नाम घोषित की जावे। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा खारिज कर दियाा जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने निर्णय से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन नहीं कर अपना निर्णय पारित किया है। नामान्तरकरण सं0–745 दिनांक 6–8–1976 रेस्पोडेन्ट द्वारा भरा गया । अब रेस्पोडेन्ट ने अपना जबाब अपने ही दस्तावेज के विरूद्ध पेश किया है जिस पर अदालत मातहत ने कोई गोर न कर अपना निर्णय दिया है जो विधि एव तथ्यो के विपरित पारित किया गया है। जबाब दावा प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत को तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत लेकर अपना निर्णय पारित किया जाना चाहिये था किन्तु योग्य अदालत मातहत ने दावे में बिना तनकीयात कायम किये तथा बिना साक्ष्य लिये आदेश पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरित है। अदालत मातहत ने दस्तावेजात को प्रदर्श मार्क भी नहीं किया है। इस प्रकार अदालत मातहत ने सीपीसी के प्रावधानों की कोई पालना न कर अपना आदेश पारित किया है जो है जो विधि के विपरित है।अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जिनका अदालत मातहत ने निर्णय से पूर्व कोई अवलोकन न कर अपना निर्णय पारित किया है जो विधि। के विपरित है। शासन सचिव राजस्व ग्रुप विभाग के आदेश क्रमांक प0–12;15/राज–1/16 दिनांक 20–4–17 की पालना में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान दिनांक 8–5–17 से 30–6–17 के मध्य आयोजित किये जायेगें जिनका निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाने का आदेश है किन्तु अदालत मातहत ने उक्त आदेशो की पालना भी नही कर आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है ।अत अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे।

भू-प्रबन्ध

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिषकगण की सुनी गई ।

बहस बगौर विद्वान वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सं0– 2031 से 2034 में खसरा नं0–1796 रकबा 81 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी झाडीदार वन किस्म बजंड बिहडं दर्ज है जिस पर नोट लगा हुआ हैनामान्तरकरण सं0–745 से गीगा के नाम 10 बीघा आराजी दर्ज की गई है। खसरा गिरदावरी सं0–2032 से 2035 में खसरा नं0 1796 रकबा 81 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी

राजकीय दर्ज है जिसमें से 36 बीघा 7 बिस्वा पर देवा गीगा हरला भाता मनोहर पिता चन्द्रा माली की काश्त दर्ज है । विशेष विवरण में नोंट दर्ज है 10 बीघा गीगा पुत्र चन्द्रा को अलाटमेन्ट की गई मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सं0–2071 से 2074 में आराजी ख0नं0 2050 रकबा 2.02 राजकीय दर्ज है। प्रतिवादी/रेस्पोडन्ट ने अपने जबाब में विवादिज आराजी को बजंड बेहड़ बताई जिसे काश्त योग्य नहीं बताया है तथा विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होने पर सैटलमेन्ट विभाग ने इसे राजकीय दर्ज किया है। राज्य सरकार ने इस आराजी को सन 1977 में वन्य भूमि दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये। पत्रावली पर मनन करने पर आया कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया जाकर पुनः निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित मानते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 10.07.2017 खारिज किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है कि बाद पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें। पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 12.03.2018 को उपस्थित हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28.2.2018 को सुनाया गया।

28/2/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर